12.04.23

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित नहीं। वकील वादीगण एवं वादीगण को बार-बार आवाज लगाने पर भी उपस्थित नहीं हुये। अतः यह वादपत्र अदम पैरवी एवं अदम हाजिरी में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना